न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

कालूराम बनाम श्रवणी वगैरह

किस्म मुकदमाः–225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

प्रकरण संख्या 224/2026 (अजमेर)

दिनांक
26/5/26

श्री शौकिन्द लाल गुर्जर

कालूराम बनाम श्रवणी वगैरह(2026/224)

19/5/26 यह अपील श्री शौकिन्दलाल गुर्जर एडवोकेट ने विद्वान सहायक कलक्टर मुख्यालय अजमेर के द्वारा प्रकरण संख्या 65/2025 में पारित आदेश दिनांक 25.06.2025 के विरूद्व अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्कारी अधिनियम 1955 के तहत पेश की गई। अपील बाद जॉच रिपोर्ट होकर पेश की गई । अपील मीयाद बाहर पेश की गई। अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पेश किया गया। जिसके साथ में शपथ पत्र पेश किये। अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपील के साथ प्रार्थना पत्र स्थगन पेश किया। अभिभाषक अपीलांट को प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम एवं प्रार्थना पत्र स्थगन पर सुना गया। पत्रावली वास्ते आदेशार्थ दिनांक 26.05.2026 को पेश हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

26/5/26 पत्रावली आदेशार्थ पेश की गई। अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर निवेदन किया कि न्यायालय सहायक कलक्टर (मु०) अजमेर के आदेश दिनांक 25.06.2025 के आड़ में अप्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी पर फसल बोने एवं आराजी पर दखलन्दाजी करने लगे कहने लगे की न्यायालय द्वारा हमारे पक्ष में आदेश कर दिया है, जबकि अपीलांट/प्रार्थीगण ने प्रकरण का जवाब मय दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत होने पर भी प्रकरण तारीक पेशी नियत की जा रही है, तब दिनांक 11.05.2026 को अभिभाषक से इस बाबत सम्पर्क किया, तब अभिभाषक ने बताया की उक्त आदेश के विरुद्ध अपील प्रस्तुत करने की सलाह प्रदान की, तो न्यायालय सहायक कलक्टर (मु०) अजमेर के द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.06.2025 की नकल बाबत आवेदन दिनांक 11.05.2026 को प्रस्तुत किया गया, जो दिनांक 12.05.2026 को प्राप्त कर फीस व खर्चा की व्यवस्था कर अपील विना अविलम्ब पेश की जा रही है, जिसे पेश करने में हुई उपरोक्त सदभाविक देरी को क्षमा कर प्रार्थना पत्र को अन्दर मयाद शुमार कर गुणावगुण पर निर्णित किया जाना न्यायोचित है।

अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर कि गई बहस पर मनन किया गया एवं प्रार्थना पत्र व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन यह स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में किए गए कथन संतोषजनक व सदभाविक प्रतीत होते हैं। अतः न्यायाहित में प्रार्थना–पत्र को स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं। अतः प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है व अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।

तत्पश्चात अभिभाषक अपीलांट ने स्थगन प्रार्थना पत्र में दौराने बहस कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र 212 में अंकित अभिकथन विरोधाभाषी है तथा प्रार्थना–पत्र व प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किए बिना ही अपीलांट की पुश्तैनी खातेदारी आराजी वाकै ग्राम मगरी तहसील अजमेर की मौके की यथा स्थिति बनाए रखने के आदेश दिए है, जो विधि विरूद्ध है। प्रथम दृष्टया प्रकरण व सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है। अतः प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर (मु.), अजमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.06.2025 की पालना व प्रभाव की क्रियान्विति ताफैसला अपील स्थगित किए जाने के आदेश प्रदान करावे। हमने अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रार्थना–पत्र स्थगन पर

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

लगातार.....

Scanned with CamScanner

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

कालूराम बनाम श्रवणी वगैरह

किस्म मुकदमाः–225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

प्रकरण संख्या 224/2026 (अजमेर)

श्री गोविन्दलाल गुर्जर

लगातार...

की गई बहस पर गनन किया एवं प्रार्थना पत्र स्थगन, अपील तथा अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की प्रति का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन हमने पाया कि अभिभाषक अपीलांट/अप्रार्थी ने दिनांक 24.03.2026 को अपना वकालतनामा पेश किया तथा दिनांक 09.04.2026 को स्थगन प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत किया गया। जवाब प्रस्तुत किए जाने के पश्चात भी प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 212 आरटीएक्ट पर बहस नहीं कर आगामी पेशी दिनांक 01.05.2026 नियत कर दी तथा दिनांक 01.05.2026 को भी प्रार्थना–पत्र पर बहस नहीं कर आगामी पेशी दिनांक 15.05.2026 नियत कर दी। अभिभाषक अपीलांट का कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम को निस्तारण नही कर प्रार्थीगण/अपीलांटस की पुश्तैनी आराजी पर कब्जे काश्त दखल अंदाजी एवं रहन बेचान करने पर आमादा है। यदि विवादित आराजी पर विपक्षीगण का कब्जा हो जाता है तथा विवादित आराजी को रहन व बैचान हो जाता है तो प्रथम दृष्टया अपीलांट/अप्रार्थीगण को क्षति उत्पन्न होगी।

न्यायहित में हम पक्षकारान के समय एवं आर्थिक व्ययता को मध्यनजर रखते हुए, अपील को इसी स्तर पर बिना गुणावगुण पर टिप्पणी किए निर्णित कर प्रकरण को इस आशय से अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रपित करना उचित समझते है कि वे प्रार्थना–पत्र में उभय पक्षकारा को समुचित अवसर प्रदान करते हुए, प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम का गुणावगुण पर यथासंभव 15 दिवस में निरतारण करें।

अतः अपील निर्णित की जाकर, प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर (मृ.) अजमेर को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे उभय पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए प्रार्थन–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम का गुणावगुण पर यथासंभव 15 दिवस में निस्तारण करें। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवायी जावें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

न्यायालय श्रीमान् राजस्व अपील अधिकारी महोदय,अजमेर

अपील टी0 ए0 संख्या 224/2026 जिला-अजमेर

2026 | 224

1. कालूराम पुत्र स्व0श्री हरजी

2. नन्दाराम पुत्र स्व0श्री हरजी(मृतक)जरिये वारिसानः-

2/1-रामस्वरूप पुत्र नन्दाराम

3. अमरलाल पुत्र हरजी

4. रतनी पुत्री स्व0श्री हरजी

समस्त जाति-गुर्जर, निवासी ग्राम-मगरी, तहसील एवं जिला- अजमेर(राज0)।

-- अपीलांट

बनाम्

1. श्रवणी पुत्री धूलाराम
2. परमेश्वर पुत्र भंवरलाल
3. लक्ष्मण पुत्र भंवरलाल
4. सेनादेवी पुत्री भंवरलाल
5. हरिराम पुत्र कानाराम
6. गीता पुत्री कानाराम
7. रामाबाई पुत्री कानाराम
8. रेखा पत्नि रामलाल
9. विष्णु पुत्र रामलाल
10. रामराज पुत्र रामदेव
11. सीताराम पुत्र रामदेव
12. दिलखुश पुत्र रामदेव
13. सीमा पुत्री रामदेव
14. कोमल पुत्री रामदेव
15. कैलाश पुत्र सुवा देवी
16. सोजीराम पुत्र सुवादेवी

224 | 2026
19 | 5 | 26

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर (19/05/2026)

Scanned with CamScanner

समस्त जाति-गुर्जर, निवासी ग्राम-मगरी, तहसील एवं जिला- अजमेर(राज0)।

17. राजस्थान सरकार जीरये तहसीलदार महोदय, अजमेर, जिला-अजमेर (राज0)।

--रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध आदेश विद्वान न्यायालय श्रीमान सहायक कलक्टर(मु0) महोदय अजमेर दिनांक 25.06.2025राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 65/ 2025 बउनवानी"श्रवणी बनाम् हरजी"में पारित किया गया।

श्रीमान्‌जी,

(अ) यह कि अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से हैं कि वादीगण/ रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 16 ने प्रतिवादी/अपीलांट एवं तर0रेस्पों के विरूद्ध एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान कास्तकारी अधि0 1955 एवं सपठित धारा 136 भू-राजस्व अधि01956 के तहत विद्वान न्यायालय श्रीमान सहायक कलक्टर(मु0) महोदय अजमेर के समक्ष प्रस्तुत किया गया तथा वाद के साथ ही एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान कास्तकारी अधि0 1955 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया किः-सारणी में अंकित आराजी निम्न प्रकार से हैः-

सा0खा0सं0	रकबा	वर्किंग खा0सं0	रकबा	हाल खा0सं0	रकबा
117	03-18-00	128	03-18-00	210	0.63 है0
293	11-11-00	311	11-11-00	535	0.93 है0
				536	0.94 है0
308	04-12-00	324	04-12-00	537/816	0.17 है0
				546	0.57 है0
		576	06-19-00	674/768	01.13 है

Scanned with CamScanner